परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 17 जनवरी 2013 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	07 जनवरी 2013

परियोजना का नाम	बिहार शहरी विकास निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	41603-023
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	जल आपूर्ति और अन्य नगरीय अवसंरचना तथा सेवाएं/जल आपूर्ति और सफाई
विषयगत वर्गीकरण	क्षमता विकास निजी क्षेत्र विकास सामाजिक विकास लिंग समानता गरीबी उपशमन तथा समावेशी विकास
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	प्रभावी ढंग से लिंग मुख्यधारा में जोड़ना

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	2861	साधारण पूंजी संसाधन	65,000
–	–	पूरक	27,860
योग			यूएस **$ 92,860**

संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories देखें

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ख
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण–पहलू
परियोजना 1 से भागलपुर के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकांश प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव निर्माण के साथ संबद्ध हैं तथा उनका उपशमन किया जाएगा। प्रारंभिक पर्यावरण जांच, जिसमें पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल है, पर्यावरण आंकलन और समीक्षा संरचना के अनुसरण में तैयार की गई थी।

अस्वैच्छिक पुनर्वास
परियोजना 1 के तहत स्थायी भूमि अधिग्रहण प्रत्याशित नहीं है, तथापि, पाइप नेटवर्क्स का पुनर्स्थापन और बिछाया जाना सड़क मार्गाधिकारों पर संचालित किया जाएगा, निर्माण के दौरान आय की अस्थायी क्षति कर सकता है।

स्वदेशी लोग
उपपरियोजना नगर भागलपुर में कोई आईपी'ज या ईएम समूह नहीं हैं। ये जनसंख्या डेटा द्वारा समर्थित हैं और एफजीडी'ज तथा अनुप्रस्थ वर्गों द्वारा पुष्टिकृत है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान
पीपीटीए परामर्शदाताओं द्वारा पांच फोकस समूह चर्चाओं का आयोजन किया गया जिनमें 41 प्रतिभागी (24 पुरूष तथा 17 महिलाएं) थे। प्रतिभागियों से जल आपूर्ति के उपयोग, सफाई की स्थिति और जल एवं सीवरेज सेवाओं के भुगतान हेतु इच्छा के बारे में पूछा गया था। प्रारूप निवेश कार्यक्रम तैयार किए जाने के पश्चात, निवेश कार्यक्रम के बारे में एडीबी, बिहार राज्य सरकार, एसपीयूआर, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, यूएलबी अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ जानकारी साझा करने हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान
प्रारूप परामर्श तथा प्रतिभागिता योजना में निम्नांकित पर विचार किया गया है : 1. पीएमयू द्वारा आयोजित छह एक दिवसीय परियोजना अनुकूलन कार्यशालाएं, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श (iii) साझा जिम्मेदारी (iv) साझा निर्णय करना 2. पीआईयू द्वारा एनजीओ, यूएलबी तथा डब्ल्यूडीसी के सहयोग में चारों उपनगरों में निम्न हेतु आयोजित छह अर्द्ध दिवसीय परियोजना अनुकूलन सेमिनार : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श (iii) साझा निर्णय करना 3. पीएमयू, पीआईयू, यूएलबी द्वारा एनजीओ के सहयोग में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं पर दो अर्द्ध

दिवसीय फोकस समूह चर्चा कार्यशालाओं का आयोजन, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श 4. पीएमयू, पीआईयू, यूएलबी द्वारा एनजीओ के सहयोग में एक एक दिवसीय ज्ञान साझा करने हेतु कार्यशाला का आयोजन, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श (iii) साझा निर्णय करना 5. पीआईयू तथा यूएलबी द्वारा एनजीओ तथा डब्ल्यूडीसी के सहयोग में समुदाय प्रहरियों हेतु एक अर्द्ध दिवसीय अर्द्धवार्षिक प्रतिभागी अनुवीक्षण बैठक, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श 6. पीएमयू, पीआईयू तथा यूएलबी द्वारा एनजीओ के सहयोग में पुनर्वास तथा अधिकार पर आयोजित चार अर्द्ध दिवसीय फोकस समूह चर्चा और आठ अर्द्ध दिवसीय लघु समूह बैठकें, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श 7. पीएमयू, पीआईयू तथा यूएलबी द्वारा एनजीओ के सहयोग में अस्थायी रूप से प्रभावित व्यक्तियों के साथ एक अर्द्ध दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श 8. पीआईयू तथा यूएलबी द्वारा एनजीओ के सहयोग में भागलपुर में मछुवारा समुदायों के साथ एक अर्द्ध दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन, निम्न हेतु : (i) सूचना साझा करना (ii) परामर्श

विवरण

प्रस्तावित परियोजना 1 में शामिल होंगी : (i) भागलपुर जल आपूर्ति उप परियोजना; (ii) गया और दरभंगा में भूजल का जल–भूवैज्ञानिक आंकलन; (iii) निवेश कार्यक्रम प्रबंधन हेतु परामर्शी सेवाएं; (iv) निर्माण निरीक्षण तथा उप परियोजना डिजाइन हेतु परामर्शी सेवाएं;(v) परियोजना प्रबंधन तथा कार्यान्वन इकाई परिचालन; और (vi) भागलपुर में एसपीयूआर के बाहर क्षमता निर्माण तथा सुधार गतिविधियां

परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के संबंध में सम्पर्क

भागलपुर में जल आपूर्ति सेवा का निष्पादन राष्ट्रीय औसत और लक्ष्यों की तुलना में घटिया रहा है : (i) जल आपूर्ति व्याप्ति : भागलपुर में जनसख्या की 81 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय औसत 81 प्रतिशत और राष्ट्रीय लक्ष्य 94 प्रतिशत से 100 प्रतिशत है । (ii) जल आपूर्ति मात्रा : भागलपुर में 57 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जबकि राष्ट्रीय औसत 123 एलपीसीडी है और राष्ट्रीय लक्ष्य 135 एलपीसीडी है। (iii) जल आपूर्ति अवधि : भागलपुर में 5 घंटा प्रति दिन (एचपीडी) जबकि राष्ट्रीय औसत 4 एचपीडी तथा राष्ट्रीय लक्ष्य 25 एचपीडी है। (iv) मीटरयुक्त जल कनैक्शन : भागलपुर में 0 प्रतिशत कनैक्शन, जबकि राष्ट्रीय औसत 25 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय लक्ष्य 100 प्रतिशत है। भागलपुर मुख्य शहरी सेवाओं के पोषण हेतु सक्षम नहीं है क्योंकि मूल समस्या यह है कि आकार और दशा की दृष्टि से अवसंरचना पर्याप्त नहीं है। इसके प्रमुख कारण अपर्याप्त नव निवेश तथा ओ एवं एम हैं जिनकी जड़ें चार बुनियादी समस्याओं से मजबूती पा रही हैं : (i) प्रयोक्ता प्रभार। यहां कोई प्रयोक्ता प्रभार नहीं हैं जिसके कारण यूएलबी'ज ओ एवं एम लागत की वसूली नहीं कर सकती हैं। (क) एकत्रित राजस्व और व्ययों तथा (ख) नियत सामान्य व्ययों के अभिग्रहण की अक्षमता के कारण उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार स्तरों की गणना में कठिनाई पैदा होती है, भले ही यूएलबी'ज प्रयोक्ता प्रभार वसूल करने की इच्छुक हों। (ii) लेखांकन पद्धतियां। प्रत्येक शहरी सेवा के लिए दायरा बद्ध लेखा विशिष्ट के अभाव में यूएलबी'ज प्रमुख निवेशों हेतु आंतरिक सुरक्षित निधियां संचित नहीं कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप यूएलबी'ज को विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्य स्कीमों पर आश्रित रहना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की अनिश्चित उपलब्धता ने भविष्य की योजना को कठिन बना दिया है। (iii) लोक प्रशासन। म्युनिसिपल सिविल सर्वेंट प्रणाली के अभाव में यूएलबी'ज में कौशल संचित करना कठिन है। अधिकांश स्टाफ संविदा पर है जिनको नाना कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं तथा जो मुश्किल से ही अपेक्षित योग्यता धारक और विशेष प्रकार के कार्यों हेतु विरल ही समर्पित होते हैं। (iv) मानव संसाधन। भर्ती किए गए स्टाफ की संख्या जल आपूर्ति, सीवरेज तथा एसडब्ल्यूएम सेवाओं का सम्पोषण राष्ट्रीय लक्ष्य स्तर पर करने की दृष्टि से बेहद कम हैं। सुयोग्य कार्मिकों को आकर्षित नहीं कर पाने की कठिनाई के चलते दीर्घ–कालीन योजना तैयार करना तथा वित्तपोषकों को आकर्षित करने वाला परियोजना प्रस्ताव तैयार करना मुश्किल है।

विकास प्रभाव

लोगों, विशेषकर कमजोर गृहस्थियों को भागलपुर, दरभंगा, गया और मुजफ्फरनगर में बेहतर गुणवत्ता की और सम्पोषणीय शहरी अवसंरचना तथा सेवाएं सुलभ होंगी।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
बिहार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BUIDCo) तथा शहरी विकास निकाय (ULB) भागलपुर में जल आपूर्ति में अवसंरचना, परिचालन तथा सम्पोषणीयता का सुधार करते हैं।	–

आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. भागलपुर में जल आपूर्ति अवसंरचना का पुनरूद्धार किया गया तथा नए निर्माण किए गए। 2. भागलपुर में जल आपूर्ति प्रचालनों हेतु स्टाफ संख्या और कौशल में सुधार। 3. भागलपुर में जल आपूर्ति सेवा प्रदाय प्रबंधन हेतु प्रणाली में सुधार। 4. उपपरियोजना निर्धारित समय पर, बजट के भीतर और पारदर्शी ढंग से कार्यान्वित की गई।	–
विकास उद्देश्यों की स्थिति	महत्वपूर्ण परिवर्तन
–	–

व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि 2011 मई 12

परामर्शी सेवाएं

सभी परामर्शदाताओं की भर्ती परामर्शदाताओं के उपयोग पर एडीबी के मार्गदर्शी सिद्धांत (2010, समय–समय पर संशोधित) के अनुसार की जाएगी। संकेतात्मक परामर्शदाता भर्ती गतिविधियां हैं : गुणवत्ता –और लागत –आधारित चयन, 74 व्यक्ति–माह अंतरराष्ट्रीय तथा 1236 व्यक्ति–माह राष्ट्रीय परामर्शदाता, दो संविदाओं में 18.78 मिलियन डॉलर। 2012 से 2021 तक पूरे निवेश कार्यक्रम के दौरान, निरंतरता और सुसंगतता सुनिश्चित करने हेतु, प्रत्येक का निष्पादन एक ही टीम द्वारा किया जाएगा। प्रथम ऋण द्वारा परामर्श सेवा संविदा के प्रारंभिक वर्षों हेतु वित्तपोषण किया जाएगा और अनुवर्ती ऋणों से संविदाओं की शेष अवधि हेतु व्यवस्था की जाएगी।

अधिप्राप्ति

सामग्री तथा कार्यों की समस्त अधिप्राप्तियां एडीबी के अधिप्राप्ति मार्गदर्शी सिद्धांत (2010, समय–समय पर संशोधित) के अनुसार की जाएंगी। संकेतात्मक अधिप्राप्ति गतिविधियां हैं : (i) अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोलीदान, 1 संविदाएं, 60 मिलियन डॉलर; (ii) खरीदारी, 8

संविदाएं, 0.7 मिलियन डॉलर। एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोलीदान संविदा, जिसका निष्पादन संविदाकार द्वारा सम्पत्ति के डिजाइन, निर्माण और सम्पत्ति प्रचालन के रूप में 9–14 वर्षों में किया जाएगा (एक वर्ष डिजाइन हेतु, 3 वर्ष निर्माण के लिए तथा 5–10 वर्ष प्रचालन हेतु)। संविदा के अंतिम वर्ष में, नियोक्ता के पास परिचालन संविदा बंद करने या जारी रखने का विकल्प होगा। एडीबी द्वारा डिजाइन और निर्माण की पूर्ण अवधियों का तथा परिचालन की 3 वर्ष तक की आंशिक अवधि का वित्तपोषण किया जा सकता है। प्रथम ऋण द्वारा संविदा का आंशिक वित्तपोषण किया जाएगा तथा अनुवर्ती ऋणों से संविदाओं की शेष अवधि का वित्तपोषण किया जाएगा जिसमें अधिकांशतः संविदा की परिचालन अवधि शामिल होगी। संविदा के अंतिम वर्ष में, कार्यान्वयन अभिकरण, संविदाकार के नियोक्ता के पास परिचालन की जिम्मेदारी यूएलबी को हस्तांतरित करने, उसी परिचालक को जारी रखने अथवा राज्य प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रचालक नियुक्त करने का विकल्प होगा।

प्रापण और परामर्शी सूचनाएं
http://www.adb.org/projects/41603-023/business-opportunities

समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंध समीक्षा बैठक	15 जुलाई 2011
अनुमोदन	13 अप्रैल 2012
अंतिम समीक्षा मिशन	–

मीलपत्थर

अनुमोदन संख्या	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभावोत्पादकता	अनुमोदन समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 2861	13 अप्रैल 2012	–	–	30 जून 2017	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एशियाई विकास बैंक (यूएस $ हजार)	अन्य (यूएस $ हजार)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा पुरस्कार				
16 जनवरी 2013	ऋण 2861	0	0	0.00%
संचयी संवितरण				
16 जनवरी 2013	ऋण 2861	0	0	0.00%

प्रसंविदाओं की स्थिति

प्रसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की गई हैं –– लेखापरीक्षित परियोजना वित्तीय विवरण, सुरक्षा उपाय, सामाजिक, क्षेत्र, वित्तीय, आर्थिक और अन्य। प्रसंविदाओं अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संवर्गों द्वारा किया जाता है : (i) संतोषजनक –– इस संवर्ग में सभी प्रसंविदाओं का अनुपालन किया जाता है, अधिकतम एक अपवाद के साथ, (ii) आंशिक संतोषजनक –– इस संवर्ग में अधिकतम दो प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, (iii) असंतोषजनक –– इस संवर्ग में तीन या अधिक प्रसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, सार्वजनिक संचार नीति 2011 के अनुसार, परियोजना वित्तीय विवरणों हेतु प्रसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है जिनका वार्तातय हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल 2012 के पश्चात निर्धारित है।

अनुमोदन संख्या	संवर्ग						
	क्षेत्र	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षा उपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
ऋण 2861	–	–	–	–	–	–	–

संविदाएं और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	हिरोयुकी इकेमोतो (hikemoto@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	शहरी विकास और जल प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	बिहार सरकार का शहरी विकास विभाग

सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/41603-023/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/41603-023/documents